न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 36/2020 G.C.M.S. No. 2020/00114 दर्ज दिनांक : 15.07.2020

अपीलार्थिगण:

1. मानसिंह पुत्र नरसिंह, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम नेतरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली।

एवं

राजस्व अपील संख्या : 67/2020 G.C.M.S. No. 2020/00265 दर्ज दिनांक : 31.12.2020

अपीलार्थिगण:

1. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर, जिला पाली।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. मानसिंह पुत्र नरसिंह, जाति पुरोहित, निवासी ग्राम नेतरा, तहसील सुमेरपुर, जिला पाली।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर के राजस्व वाद संख्या 39/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 बअनवान मानसिंह बनाम राजस्थान सरकार एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार—

1. श्री घनश्यामसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. सरकारी पैरोकार रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 09.06.2025

अपीलान्ट्स की ओर से जरिये अधिवक्ता ये दोनों अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर सुमेरपुर के राजस्व वाद संख्या 39/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 बअनवान मानसिंह बनाम राजस्थान सरकार के विरूद्ध पेश की गई। दोनों अपील एक ही निर्णय व डिक्री से संबंधित होने से दोनों में निर्णय में समरूपता हों, अतः दोनों अपील एक साथ संयोजित की जाकर एक साथ निर्णित की जा रही हैं। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है—

यह कि अपील संख्या 36/2020 के अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक वाद रेस्पोंडेण्ट के विरूद्ध इस आशय का पेश किया था कि अपीलाण्ट को ग्राम नेतरा के गत खसरा नं. 45 रकबा 74 बीघा 15 बिस्वा में से 5 बीघा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

भूमि दिनांक 01.05.1986 को राजस्व अभियान कार्यक्रम केन्द्र ग्राम नेतरा में आवंटित हुई थी तथा उसी समय कब्जा सुपुर्द किया था, तब से अपीलाण्ट बतौर आवंटी खातेदार के काबिज काश्त है। लेकिन राजस्व कर्मचारियों व अधिकारियों द्वारा जानबूझकर अथवा लापरवाही से उपरोक्त आवंटन का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज नहीं किया। अपीलाण्ट ने उपरोक्त आवंटित भूमि का आरक्षण मूल्य मय ब्याज व सनद फीस वर्ष 1991 में राज्य सरकार को अदा कर दी। आवंटन के बाद हुए भू-प्रबंध के बाद नया राजस्व रेकर्ड बना, उसमें उपरोक्त खसरा नं. 45 के हाल खसरा नं. 90, 91, 119 व 121 बने है। इस तरह अपीलार्थी का आवंटन सुदा भूमि का कब्जा गत खसरा नं. 45 से बने हाल खसरा नं. 91 रकबा 2.73 हैक्टेयर में से 0.80 हैक्टेयर पर वक्त आवंटन से चला आ रहा है। मौके पर आवंटित भूमि के बाड़ की हुई है तथा अंदर कृषि योग्य सामान पड़ा है, साथ ही काश्त हो रही है। उक्त खसरा नं. 91 के कुल रकबे में से 0.80 हैक्टेयर अर्थात् 5 बीघा भूमि अपीलार्थी के नाम की खातेदारी दर्ज किये जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में दावा पेश किया। रेस्पोंडेण्ट की ओर से जवाबदावा पेश कर अपीलार्थी का आवंटन होना स्वीकार किया। अभिवचनों के आधार पर पांच तनकीयात कायम की गई। अपीलार्थी की ओर से पी.डब्ल्यू-1 प्रकाशसिंह, पी.डब्ल्यू-2 सोनाराम, पी.डब्ल्यू-3 पटवारी दिनेश कुमार, पी.डब्ल्यू- 4 मानसिंह के बयान करवाये गये। रेस्पोंडेण्ट की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई। मौके की रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वेच्छा से रेस्पोंडेण्ट से मंगवाई गई, जो रिपोर्ट दिनांक 14.01.2020 को पेश हुई। तत्पश्चात् बहस सुनी जाकर वाद को आंशिक रूप से डिक्री किया गया अर्थात् खसरा नं. 91 के कुल रकबा 2.73 हैक्टेयर में से 0.80 हैक्टेयर के स्थान पर 0.6450 हैक्टेयर की खातेदारी वर्तमान डी.एल.सी. दर की 10 प्रतिशत राशि अपीलार्थी से वसूल किये जाने के बाद बतौर खातेदार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किये जाने के आदेश पारित किये गये। जब अपीलार्थी को आवंटन 5 बीघा भूमि अर्थात् 0.80 हैक्टेयर का हुआ है, तो खातेदारी अधिकार मात्र 0.6450 हैक्टेयर भूमि के ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिये गये, जो विधि विरूद्ध है। संपूर्ण 5 बीघा भूमि की खातेदारी प्राप्त करने का अपीलार्थी अधिकारी है। जब मौके पर खसरा नंबर 91 में 0.80 हैक्टेयर से अधिक भूमि सरकारी सिवायचक उपलब्ध है, तो ऐसी स्थिति में आवंटित रकबे से कम रकबे की खातेदारी दिये जाना कतई उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने मौके रिपोर्ट दिनांक 14.01.2020 को आधार बनाते हुए आवंटित रकबे से कम रकबे की खातेदारी दी गई है। उक्त मौका रिपोर्ट में 0.10 हैक्टेयर पर टीपू का कब्जा और 0.44 हैक्टेयर पर मोहनराज का कब्जा बताया है। जिनके पास किसी प्रकार का न तो स्वत्व है, न ही उनके पक्ष में कभी कोई आवंटन हुआ है। इस कारण से भी इस संबंध में पारित निर्णय व डिक्री विधि अनुसार नहीं होने से अपास्त योग्य है। मौका रिपोर्ट बिना

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलार्थी को नोटिस दिये ही एकपक्षीय तैयार कर पेश की गई है, जिसके आधार पर अपीलार्थी के हक, हकुक, अधिकारों को कम नहीं किया जा सकता है। रेस्पोंडेण्ट द्वारा कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई थी। अपीलार्थी साक्ष्य का भी कोई खण्डन नहीं किया गया था, न ही अपीलार्थी के गवाहान से कोई जिरह की गई है, इसके विपरित अपीलार्थी ने पटवारी हल्का को साक्ष्य में अपीलार्थी की ओर से तलब करवाकर प्रस्तुत किया है, जिसने भी अपीलार्थी के वाद की ताईद की है अर्थात् 5 बीघा भूमि का नियमन होना और आरक्षित मूल्य मय ब्याज मय सनद फीस अपीलार्थी द्वारा राजकोष में जमा करवाना स्वीकार किया और मौके पर कब्जा वादी का होना स्वीकार किया, ऐसी स्थिति में जब रेस्पोंडेन्ट के प्रतिनिधि ने साक्ष्य में आकर वादी के वाद को स्वीकार कर लिया हों और खण्डन में रेस्पोंडेण्ट की कोई साक्ष्य नहीं हो तो ऐसी स्थिति में वाद स्वतः ही काबिज डिक्री होता है, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने आंशिक रूप से वाद को डिक्री करने में विधिक रूप से भारी भूल की है। इस कारण भी अपीलाधीन निर्णय व डिक्री इस हद तक अपास्त योग्य है। अपीलार्थी को उपरोक्त भूमि नियमन हुई थी और उसका आरक्षित मूल्य मय ब्याज व सनद फीस पूर्व में ही अपीलार्थी की ओर से अदा कर दी गई थी, ऐसी स्थिति में वर्तमान डी.एल.सी. की 10 प्रतिशत राशि भुगतान किये जाने पर ही राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज किये जाने का आदेश पारित किया है, जो विधिनुसार सही नहीं है और इस तरह का आदेश अधीनस्थ न्यायालय को दिये जाने का कोई अधिकार विधिक रूप से नहीं है। चूंकि भूमि का अपीलार्थी को आवंटन/नियमन हुआ है। वक्त आवंटन से अपीलार्थी काबिज है, काश्त कर रहा है, जिसे रेस्पोंडेण्ट ने स्वीकार किया है। अपीलार्थी से आरक्षित मूल्य मय ब्याज पूर्व में ही रेस्पोंडेण्ट ने वसूल कर लिया है। ऐसी स्थिति में रेस्पोंडेण्ट अथवा उनके कर्मचारियों की गलती का दण्ड अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है और अपीलार्थी से इस प्रकार डीएलसी दर की 10 प्रतिशत राशि वसूल किये जाने बाबत् जो आदेश पारित किया है, वह भी विधिक परिप्रेक्ष्य में अनुचित होने से अपास्त योग्य है। विधिनुसार आवंटन अथवा नियमन योग्य भूमि का आरक्षित मूल्य और सनद फीस प्राप्त होने के बाद राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने का राजस्व अधिकारियों का कर्तव्य है और उसमें कोई लापरवाही उनके द्वारा की जाती है तो उसका दण्ड अपीलार्थी को नहीं दिया जा सकता है। इस कारण 10 प्रतिशत डीएलसी दर बाबत् अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमावें।

पश्चातवर्ती अपील संख्या 67/2020 के अपीलांट ने निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय प्रथमदृष्टया निरस्त योग्य है। क्योंकि रेस्पोंडेन्ट न तो खुद काश्तकार है एवं न ही संयुक्त खातेदार है। वादग्रस्त भूमि राजकीय भूमि है। अतः रेस्पोंडेन्ट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 के अन्तर्गत वाद लाने का अधिकार ही नहीं है। साथ ही आवंटन आदेश की पालना हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही किसी रूप में नहीं की जा सकती हैं। रेस्पोंडेन्ट ने आवंटन आदेश की पालना में कब्जा प्राप्त करने हेतु कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के अन्तर्गत अपना प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था, जो नहीं किया गया है। ऐसी सूरत में अधिनस्थ न्यायालय को वादग्रस्त भूमि के संबंध में काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण में सुनवाई का कोई अधिकार ही नहीं था। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में अंकित किया है कि ग्राम नेतरा के गत खसरा नम्बर 45 में से 5 बीघा भूमि आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01.05.1986 के द्वारा रेस्पोंडेन्ट को 5 बीघा भूमि आवंटन की गई एवं आवंटन की पालना में कब्जा सुपुर्द किया गया। परन्तु ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं हैं एवं न ही ऐसी कोई साक्ष्य से प्रमाणित करवाया गया है। चूंकि राजस्थान भू राजस्व कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के 15 (2) के तहत् भूमि आवंटन होने के पश्चात् 30 दिवस में आवंटी को कब्जा सुपुर्द किया जावे तत्पश्चात प्रारूप 11 में आवंटन आदेश जारी होगा, जिस पर आवंटित भूमि का आलेख रेखांकित किया जायेगा। जिससे की यह प्रमाणित हो सके कि भूमि कौनसी आवंटित की गई है। इसके पश्चात् सनद जारी किये जाने की प्रक्रिया सम्पादित की जाती हैं। अनवान प्रकरण में ऐसा कोई साक्ष्य रेस्पोंडेन्ट ने पेश नहीं किया। दोयम ग्राम नेतरा के गत खसरा नं. 45 के हाल खसरा नं. 90 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा नं. 91 रकबा 2.73 हैक्टेयर, खसरा नं. 119 रकबा 8.88 हैक्टेयर, खसरा नं. 121 रकबा 0.84 बने हैं। वर्ष 1986 से वर्तमान समय तक की खसरा गिरदावरी के अवलोकन मात्र से यह प्रमाणित है कि रेस्पोंडेन्ट को यदि कब्जा दिया गया होता एवं आवंटन आदेश का राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद नहीं किया गया होता तो उसका कब्जा होने पर अतिक्रमण दर्ज होता, जिसका नितान्त अभाव है। गत खसरा नं. 45 का कुल क्षेत्रफल 74.15 बीघा है, में से रेस्पोंडेन्ट को 5 बीघा भूमि का कब्जा सुपुर्द करने संबंधित कोई साक्ष्य नहीं होने के बावजूद हाल खसरा नं. 91 जोकि राष्ट्रीय राज्य मार्ग से लगती हुई है। उक्त भूमि जो बेशकीमती भूमि है, पर अपना प्रथम बार कब्जा स्वयं ने नाजायज रूप से कर अतिक्रमण वर्ष 2017 में खसरा परिवर्तनशील में दर्ज करवाया गया। पश्चात अनवान वाद उपखण्ड न्यायालय न्यायालय में पेश किया गया एवं न्यायालय को गुमराह कर आवंटन आदेश की आड़ में खातेदारी घोषणा करवा दी गई। अधीनस्थ न्यायालय में उक्त बिन्दुओं के संबंध में कोई साक्ष्य पर ध्यान नहीं देकर निर्णय पारित किया गया है। वाद में रेस्पोंडेन्ट द्वारा प्रस्तुत गवाहान प्रकाशसिंह, सोनाराम व स्वयं के बयानों का प्रति परीक्षण नहीं करवाया गया एवं जो सरकारी गवाहान है, उनके बयान भी संक्षिप्त है

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

जिससे कि प्रकरण में न्यायालय को अपना पक्ष मजबूती से नहीं रखा जा सका चूंकि अपीलान्ट को प्रति परीक्षण हेतु बिल्कुल ही समय नहीं दिया गया। अर्थात प्रति परीक्षण करवाया ही नहीं गया, जिससें सरकारी पक्ष मजबूती से नहीं रखा जा सका। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट्स दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

प्रकरण में विद्वान अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। हमनें बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण अधीनस्थ न्यायालय में वादी अपीलांट मानसिंह द्वारा वादग्रस्त आराजी के संबंध में रेस्पोंडेंट प्रतिवादी सरकार के विरूद्ध वादपत्र अंतर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 को स्वीकार कर डिक्री किया गया। जिसके विरूद्ध वादी मानसिंह द्वारा एवं प्रतिवादी सरकार दोनों द्वारा पृथक–पृथक अपील क्रमशः दिनांक 15.07.2020 एवं 11.12.2020 को विलंब के साथ प्रस्तुत की गई। दोनों अपीलांट्स द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से निवेदन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पश्चात वैश्विक संक्रामक महामारी कोविड–19 के कारण राज्य सरकार व भारत सरकार द्वारा लगातार लॉकडाउन घोषित होने के कारण अपील प्रस्तुत करने में विलंब हुआ। तत्पश्चात निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त कर अपील प्रस्तुत की गई। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार फरमावें।
2. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त कालावधि कोविड–19 महामारी से प्रभावित रही हैं तथा लॉकडाउन के कारण न्यायिक कार्य बाधित होने से अपील प्रस्तुत किया जाना संभव ही नहीं था। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा भी विलंबकाल को माफ किया गया है। अतः विलंबकाल सद्भाविक व युक्तियुक्त होने से माफ किया जाकर दोनों अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।
3. अपीलांट मानसिंह द्वारा अपील में मुख्य रूप से यह उज्र लिया गया है कि अपीलांट को ग्राम नेतरा के गत खसरा संख्या 45 रकबा 74–15 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि दिनांक 01.05.1986 को आवंटित की गई। जिसकी सनद फीस व निर्धारित शुल्क वर्ष

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

1991 में राज्य सरकार को अदा कर दी थीं। आवंटन के बाद भूप्रबंध के बाद खसरा संख्या 45 के हाल खसरा संख्या 90, 91, 119 व 121 बने। आवंटी का कब्जा खसरा संख्या 91 रकबा 2.73 हैक्टेयर में से 0.80 हैक्टेयर पर वक्त आवंटन से चला आ रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा अपीलांट आवंटी को आवंटन व कब्जाशुदा 0.80 हैक्टेयर आराजी के स्थान पर 0.6450 हैक्टेयर आराजी तक ही वादपत्र डिक्री किया गया। अतः अपीलांट को शेष 0.1550 हैक्टेयर भूमि का खातेदार भी घोषित किया जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किये जाने का आदेश फरमावें। वहीं अपीलांट तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा मुख्य रूप से यह निवेदन किया है कि यह सही है कि आवंटी वादी को खसरा संख्या 45 में से 5 बीघा भूमि दिनांक 01.05.1986 को आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01.05.1986 को आवंटित की गई थीं। लेकिन रेस्पोंडेंट वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जिससे यह प्रमाणित हों कि आवंटी वादी का आवंटन भूमि पर कब्जाकाश्त हों। आवंटी वादी के नाम काश्त बाबत गिरदावरी आदि नहीं हैं। अतः वादी आवंटी का कब्जा नहीं होने से गैर खातेदार के रूप में अमलदरामद नहीं किया जा सकता। अतः अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन वादग्रस्त आराजीयात भूमि आवंटन/नियमन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 01.05.1986 द्वारा अपीलांट वादी मानसिंह को ग्राम नेतरा के गत खसरा संख्या 45 की आराजी में से 5 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन की गई। उक्त आवंटन आदेश किसी भी सक्षम अधिकारी द्वारा कभी भी निरस्त नहीं किया गया तथा भूप्रबंध पश्चात खसरा संख्या परिवर्तन होने से आवंटी का नाम भू-अभिलेख में अमलदरामद नहीं हुआ। जिस पर आवंटी द्वारा अधीनस्थ विचारण न्यायालय में वादपत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा प्रकरण में प्रतिवादी सरकार से जवाबदावा प्राप्त कर विवाद्यक कायम किए जाकर बाद साक्ष्य अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई तथा प्रकरण में कब्जाकाश्त की जांच हेतु भू.अ.नि. व संबंधित पटवारी से जांच रिपोर्ट तलब की गई। जिसके अनुसार आवंटी का मौके पर कुल 0.6450 हैक्टेयर भूमि पर कब्जाकाश्त पाया गया तथा खसरा परिवर्तनशील पी-14 अनुसार भी वादी आवंटी का इसी अनुरूप कब्जाकाश्त चला आना रिपोर्ट में अंकित है। जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री द्वारा आवंटी को आवंटित कुल रकबा 5 बीघा के स्थान पर वास्तविक कब्जा व उपभोग रकबा के अनुरूप 5 बीघा से कम अर्थात कुल

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

0.6450 हैक्टेयर भूमि आवंटी के नाम बतौर गैर खातेदारी अमलदरामद किए जाने की घोषणा पारित की गई।

5. विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी सरकार द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर मुताबिक रिकॉर्ड आवंटी वादी को ग्राम नेतरा के गत खसरा संख्या 45 की आराजी में से 5 बीघा भूमि कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किए जाने तथा उक्त आवंटन आदेश का भू–अभिलेख में अमल दरामद नहीं होना स्वीकार किया है। प्रतिवादी सरकार द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य में संबंधित पटवारी ने अपने बयान में आवंटी को आवंटन होना, आवंटी का कब्जा होना तथा सनद फीस व आरक्षित मूल्य आदि जमा होना स्वीकार किया है। साथ ही प्रकरण में संबंधित भू.अ.नि. एवं पटवारी द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में आवंटी मानसिंह का आवंटनशुदा भूमि पर कब्जा होना तथा पी–14 दर्ज होना स्वीकार किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलांट सरकार का यह कथन कि आवंटी का कब्जा नहीं हैं, स्वीकार योग्य नहीं हैं।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

6. अपीलांट सरकार द्वारा यह भी उज्र लिया गया है कि आवंटी के नाम कभी भी गिरदावरी दर्ज नहीं हुई हैं, के संबंध में पत्रावली के अवलोकन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि चूंकि प्रकरण में उभयपक्षकारान द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि आवंटी को दिनांक 01.05.1986 को हुए आवंटन का अमल दरामद नहीं हुआ। तत्पश्चात भू प्रबंध कार्यवाही होने से खसरा आदि परिवर्तित हो गए जिससे आवंटी का नाम भू–अभिलेख में दर्ज नहीं हो सका। ऐसी स्थिति में आवंटी के नाम गिरदावरी जारी नहीं हो सकती। अतः अपीलांट सरकार का यह उज्र स्वीकार योग्य नहीं हैं।

7. हस्तगत प्रकरण में यह भी विचारणीय विषय है कि चूंकि अपीलांट आवंटी मानसिंह को कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन के पश्चात भू–प्रबंध कार्यवाही आदि होने से भू–अभिलेख में अमल दरामद आदि नहीं हो सका। अतः यहां विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आवंटन आदेश का अमल दरामद कराने के लिए एवं गैर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के लिए क्या धारा 88 के अंतर्गत वादपत्र पोषणीय है या नहीं। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा jeewanram and others vs state of rajasthan and others RRD 2001 page 173 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

"Suit for declaration that plaintiffs are Ghair Khatedar tenants, held, maintainable- It cannot be said that under no provision of Tenancy Act, a person can be declared as Ghair Khatedar tenant- Ghair Khatedari statuts of the occupant of land denotes that he

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

is not a trespasser and is in lawful possession so that he may be protected against summary procedure adopted for eviction of trespassers."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2015 (1) आर.आर.टी. 534 में निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:–

"Suit for declaration as gair khatedar of the land decreed- Suit is maintainable since gair khatedar is a statutory tenant- Objection regarding non-impleadment of state not raised before the Courts below- State filed the reply & stated that the petitioner was not entitled for allotment because he was neither agriculturist nor resident of the village where the land was situated- No possession of the petitioner on land-Allotment order was void ab initio & no requirement to set aside it- Three Courts recorded the concurrent findings-Held, No substance in the petition & dismissed."

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

8. अतः स्पष्ट है कि अपीलांट द्वारा आवंटन आदेश के अमलदरामद एवं गैर खातेदारी अधिकारों की घोषणा हेतु वादपत्र अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही प्रस्तुत किया है तथा विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा बाद विचारण व विवाद्यकवार विवेचन उपरांत आवंटन आदेश दिनांक 01.05.1986 का अमल दरामद करने व आवंटी को भू–अभिलेख में बतौर गैर खातेदार दर्ज किए जाने का निर्णय व डिक्री पारित किए जाने में कोई वैधानिक भूल नहीं की हैं।

9. वादग्रस्त आराजीयात के अद्यतन भू–अभिलेख व जमाबंदी के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवंटी को सक्षम अधिकारी द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार भी प्रदान किए जा चुके हैं तथा आवंटी वर्तमान में बतौर खातेदार दर्ज है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री जिसके द्वारा अपीलांट वादी को गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए थें, के विरूद्ध अपील पोषणीय नहीं हैं। आवंटी को सरकार के द्वारा ही गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए। अतः ऐसी स्थिति में सरकार को गैर खातेदारी अधिकारों के विरूद्ध उज्र लेने का अधिकार शेष नहीं रह जाता है। अतः इस संबंध में अपीलांट सरकार द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन व बलहीन है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

Scanned with OKEN Scanner

10. इसी प्रकार चूंकि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आवंटी वादी अपीलांट मानसिंह को आवंटित कुल भूमि 5 बीघा के स्थान पर आवंटी के वास्तविक कब्जे 0.6450 हैक्टेयर भूमि पर ही गैर खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिसमें अपीलांट आवंटी द्वारा खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिए गए हैं तथा पत्रावली पर ऐसा कोई अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं। जिससे यह स्पष्ट हों कि अपीलांट आवंटी मानसिंह शेष 0.1550 हैक्टेयर भूमि के संबंध में भी निरंतर कब्जाकाश्त व गैर खातेदारी अधिकार रखता हों। अतः अपीलांट मानसिंह को इस स्तर पर शेष 0.1550 हैक्टेयर रकबे के संबंध में किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार नहीं हैं। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह स्पष्ट हों कि अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कब्जाकाश्त हों। अतः मानसिंह द्वारा प्रस्तुत अपील भी बखूबी साबित नहीं होने से काबिल खारिज है।

11. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि दोनों अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील बखूबी साबित नहीं होती हैं। दोनों अपील सारहीन होने से एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने से दोनों अपील खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील संख्या 36/2020 एवं 67/2020 अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती हैं तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सुमेरपुर द्वारा राजस्व वाद संख्या 39/2017 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04.02.2020 बअनवान मानसिंह बनाम राजस्थान सरकार की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जावें। दोनों अपील में सरकार पक्षकार होने से निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि श्रीमान जिला कलक्टर पाली को भी प्रेषित की जावें। पत्रावलियां इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से दो कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सर-ए-इजलास सुनाया गया।

[illegible]
राजस्व अपील प्राधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली